27.06.16 पत्रावली कोर्ट केम्प रिछड़ा मे पेश हुई। पत्रावली मे निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जावे।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 86 / 2016

मांगू पुत्र श्री कजोड दादा उरजन जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा —**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री रामबक्ष पुत्र श्री भोला जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री बद्री पुत्र श्री जवाना जाट निवासी कान्दा निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री घीसा जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार भीलवाडा। —**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 27.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 18.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कान्दा प0म0 कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि की में आराजी न0 1793 रकबा 04–05 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 18.03.2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम कान्दा मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी न0 1793 रकबा 04–05 बीघा, भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/– अक्षरे सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 27.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रतिलिपी :– तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा